

3rd year Maintenance

64

Sch. XLV-Form No. 134

[illegible]

Measurements			
(1) Restoration of Rein-ents as per Specifica.			
$2 \times 11 \times 30$	$\text{out} \times 1.125$	$\times 0.30 \times \frac{8.4}{100} \times 1.25$	$= 23.39 \text{ m}^3$
$2 \times 11 \times 30$	$\text{out} \times 1.125$	$\times 0.30 \times \frac{8.4}{100} \times 1.25$	$= 23.39 \text{ m}^3$
$2 \times 11 \times 30$	$\text{out} \times 1.125$	$\times 0.30 \times \frac{8.4}{100} \times 1.25$	$= 23.39 \text{ m}^3$
2×15	$\text{out} \times 1.125$	$\times 0.30 \times \frac{8.4}{100} \times 1.25$	$= 1.06 \text{ m}^3$
Total =			71.23 m^3
(2) Maintenance of earthen shoulder as per Specifica.			
$2 \times 11 \times 30$	$\text{out} \times 1.125$	$\times \frac{14}{100} \times 1.25$	$= 129.94 \text{ m}^3$
$2 \times 11 \times 30$	$\text{out} \times 1.125$	$\times \frac{14}{100} \times 1.25$	$= 129.94 \text{ m}^3$
$2 \times 11 \times 30$	$\text{out} \times 1.125$	$\times \frac{14}{100} \times 1.25$	$= 129.94 \text{ m}^3$
2×15	$\text{out} \times 1.125$	$\times \frac{14}{100} \times 1.25$	$= 5.91 \text{ m}^3$
Total =			395.72 m^3

Continuation

3rd year

58

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Abstract of Cost:					
(1) Restora. of Rain-wats					
Vide, 1 km-1, P-54					
7.11.15		= 71.23 m			
@	415	1.17/m	-	29,573 =	
(2) Maint. of shoulders					
Vide it-2, P-54 = 395.72 m					
@	58.37	/m	-	23,098 =	
(3) Cutting of Tree Branches					
Vide it-3, P-55 = 0.21 m					
@	117.18	/m	-	234 =	
(4) Cutting of shrubs					
Vide it-4, P-55 = 0.6 m					
@	6.54	/m	-	39 =	
(5) White-washing of Tree-trunks.					
Vide it-5, P-55 = 99.0 m					
@	16.48	/m	-	1632 =	
(6) Pr. Road Marking etc.					
Vide. it-6, P-55 = 20.0 m					
7.11.15					
@	951.91	/m	-	19,334 =	
Total = 2,45,910 = 00					
Add. 4.3.7 @ 12% = 29,509 =					
4.3.7 @ 1.0% = 2,459 =					
S.F. Fee = 2,72 =					
Total = 2,78,146 = 00					

Continuation

Continuation

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-मु0 अ0-4 (मु0)-नाबार्ड-03-75/2018 1365

/पटना, दिनांक 26/4/18

प्रेषक,

संजय कुमार, मा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय: योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के दरभंगा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1 के क्षेत्राधीन दरभंगा प्रखंड के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ जफरा तक पथ निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 1.007 कि0 मी0 निर्माण हेतु रू0 74.02 लाख एवं अनुरक्षण की राशि रू0 2.34 लाख अर्थात् कुल 76.36 लाख रुपये (छिहत्तर लाख छत्तीस हजार) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-उप शीर्ष-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उप शीर्ष के अन्तर्गत राज्य के दरभंगा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1 के क्षेत्राधीन दरभंगा प्रखंड के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ जफरा तक पथ निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 1.007 कि0 मी0 निर्माण हेतु रू0 74.02 लाख एवं अनुरक्षण की राशि रू0 2.34 लाख अर्थात् कुल 76.36 लाख रुपये (छिहत्तर लाख छत्तीस हजार) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को दो वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1 इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड 37-4515001030105 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 459.31 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1 द्वारा योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से कमशः अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, दरभंगा एवं मुख्य अभियंता-3, पटना के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करायेगे।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1 यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
8. इस योजना का चयन मा0 मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, द्वारा संचिका संख्या- मु0 अ0-4 (मु0)-नाबार्ड-03-75/2018 के पृ0सं0-02/टि0 पर दिनांक 08.03.2018 को किया गया है।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा
अनौपचारिक रूप से परामर्शित

9. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं०- मु० अ०-४ (मु०) नाबार्ड-०३-७५/२०१८ के पृ० सं०-०४/टि० पर दिनांक-२४.०३.२०१८ को प्राप्त है।
10. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत ही राशि की निकासी की जाय।
11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-४-४५/९४-३०१ वि (२) दिनांक ३१.०१.१९९५ एवं वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (८)-११-२००५-५०९० वि (२) दिनांक १५.०९.०५ एवं २९५ दिनांक २४.०३.१५ के आलोक में तथा वित्त विभाग के संकल्प सं० ९६ दिनांक ०३.०१.२००८ में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय। यह आदेश आंतरिक वित्तिय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तिय सलाहकार की सहमति संचिका सं०- मु० अ०-४ (मु०) नाबार्ड-०३-७५/२०१८ के पृष्ठ संख्या- १०/टि० पर दिनांक-२०.०४.१८ को प्राप्त है।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य में नहीं।
13. योजना के लिए कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल दरभंगा-१ से विस्तृत कार्य योजना मांगी जायेगी एवं प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
14. योजना के कार्यान्वयन के कम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अंतराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अमिलेखबद्ध किया जाय।
15. वित्त विभाग के पत्रांक-७७०, दिनांक २०.०९.११ के द्वारा सूचित किया गया है कि नाबार्ड से RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाये।

विश्वनाथ झा
(संजय कुमार)
अपर सचिव

ज्ञापांक मु० अ०-४ (मु०)-नाबार्ड-०३-७५/२०१८ १३६५

/पटना, दिनांक-२६/४/१८

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक मु० अ०-४ (मु०)-नाबार्ड-०३-७५/२०१८ १३६५

/पटना, दिनांक-२६/४/१८

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/उप विकास आयुक्त, दरभंगा/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव सह इम्पावर्ड ऑफिसर, BRRDA, मुख्य अभियंता-३, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/मु० अ०-४ (मुख्यालय), ग्रा० का० वि०/अधीक्षण अभियंता, ग्रा० का० वि०, कार्य अंचल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य प्रमंडल, दरभंगा-१/मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, (मौर्या कम्पलेक्स, पॉचवी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव